उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0
शक्ति भवन, 14–अशोक मार्ग, लखनऊ – 226001
U.P.RAJYA VIDYUT UTPADAN NIGAM LTD.
(A U.P. Government Undertaking)
SHAKTI BHAWAN, 14-ASHOK MARG, LUCKNOW-226001
CIN: U40101UP1980SGC005065

पत्र सं0 2050 –मा0सं0प्र0–02 / उनिलि / 2022–19–मा0सं0प्र0–02 / उनिलि / 2018 दिनांक : 14 जुलाई, 2022

(1) मुख्य अभियन्ता (स्तर–1),
ई–मेल द्वारा उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0,
अनपरा / ओबरा / पारीछा / हरदुआगंज,
अनपरा (सोनभद्र) / ओबरा (सोनभद्र) / पारीछा (झाँसी) /
कासिमपुर (अलीगढ़)।

(3) मुख्य अभियन्ता(स्तर–।।)
उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0
1X660 पनकी तापीय परियोजना /
2X660 जवाहरपुर तापीय विद्युत परियोजना,
पनकी(कानपुर) / मलावन (एटा)।

(2) निदेशक(वित्त) / उप मुख्य लेखाधिकारी(वित्त–1)
उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0
शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ ।

विषय :– *उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 के समस्त पूर्णकालिक अधिकारियों / कर्मचारियों, जिनके द्वारा दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षित वेतन संरचना का चयन नहीं किया गया है अथवा जिनके वेतनमान दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षित नहीं हुए हैं, को महंगाई भत्ते का भुगतान दिनांक 01.07.2021 से लागू बढ़ी हुई दर पर किये जाने के सम्बन्ध में।*

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उ0प्र0 शासन के वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग–1 द्वारा निर्गत शासनादेश सं0: 10 / 2021–वे0आ0–1–722 / दस–2021–8(एम) / 2016, दिनांक 20.12.2021 के सन्दर्भ में तथा उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 के आदेश संख्या 430–मा0सं0प्र0–(02) / उ0नि0लि0 / 2022–19–मा0सं0प्र0–02 / 2018, दिनांक 18.02.2022 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 के समस्त पूर्णकालिक नियमित अधिकारियों / कर्मचारियों जिनके द्वारा दिनांक 01 जनवरी, 2016 से पुनरीक्षित वेतन संरचना का चयन नहीं किया गया है अथवा जिनके वेतनमान दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षित नहीं हुये हैं, को दिनांक 01.07.2021 से निम्नानुसार संशोधित दर पर महंगाई भत्ते के भुगतान की स्वीकृति प्रदान की जाती है :–

तिथि जब से देय है	महंगाई भत्ते की मासिक दर
01 जुलाई, 2021	मूल वेतन का 196 प्रतिशत

2– इस आदेश द्वारा स्वीकृत महंगाई भत्ते के आगणन हेतु "मूल वेतन" का तात्पर्य दिनांक 01.01.06 से लागू पुनरीक्षित वेतन–संरचना में कर्मचारियों को अनुमन्य वेतन बैण्ड में 'वेतन' तथा अनुमन्य 'ग्रेड वेतन' के योग से होगा, किन्तु नियत वेतनमान में अनुमन्य वेतन ही मूल वेतन माना जायेगा। परन्तु उक्त के अतिरिक्त अन्य प्रकार के वेतन जैसे विशेष वेतन / भत्ता, सीमान्त भत्ता, वैयक्तिक वेतन, प्रतिनियुक्ति भत्ता / वेतन तथा अन्य भत्ते आदि भले ही वे मूल नियमों के अन्तर्गत वेतन की परिभाषा में आते हो, को मूल वेतन के साथ सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

क्रमशः..... 2/–

3– निगमादेश सं0: 53/मा0सं0(04)/उनिलि/2009–17–मा0सं0(04)/2003, दिनांक 08.01.2010 मे निहित प्राविधानान्तर्गत चिकित्साधिकारियों को स्वीकृत प्रेक्टिस बंदी भत्ता की धनराशि को महंगाई भत्ता के आगणन में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

4– महंगाई भत्ते को एक तरह का विशिष्ट घटक ही माना जायेगा तथा वित्तीय नियम–9(21) के अन्तर्गत वेतन नहीं माना जायेगा।

5– इन आदेशों के द्वारा स्वीकृत महंगाई भत्ता उन कार्मिकों को भी, जो प्रभावी तिथि को सेवारत थे, किन्तु इस आदेश के जारी होने के पूर्व जिनकी सेवायें चाहें जिन कारणों से यथा अनुशासनिक कारणों से या त्यागपत्र, सेवानिवृत्ति, मृत्यु या सेवा मुक्त करने या स्वीकृत पदों की समाप्ति के कारण समाप्त हो गयी हो, सेवा समाप्ति, सेवानिवृत्ति आदि की तिथि तक अनुमन्य होगा।

6– इन आदेशों द्वारा स्वीकृत महंगाई भत्ते की देय धनराशि को निकटतम एक रूपये में पूर्णांकित किया जायेगा अर्थात 50 पैसे और उससे अधिक को उच्चतर रूपये पर पूर्णांकित किया जायेगा और 50 पैसे से कम की राशि को छोड़ दिया जायेगा ।

7– इस आदेश द्वारा महंगाई भत्ते की बढ़ी हुई धनराशि का भुगतान दिनांक 01 दिसम्बर, 2021 से नगद किया जायेगा।

8– संशोधित दर पर महंगाई भत्ते की दिनांक 01.07.2021 से दिनांक 30.11.2021 तक की देय अवशेष धनराशि अधिकारी/कर्मचारी के भविष्य निधि खाते में देय आयकर एवं सरचार्ज की कटौती के अधीन जमा की आयेगी और इसे दिनांक 01.12.2022 के पूर्व नहीं निकाला जा सकेगा।

9– यदि कोई अधिकारी/कर्मचारी भविष्य निधि खाते का सदस्य नहीं है तो उसे उक्त अवशेष धनराशि नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट (एन0एस0सी0) के रूप मे दी जायेगी परन्तु धनराशि के लिए अंश का सर्टिफिकेट उपलब्ध न हो तो उसे नगद दी जायेगी।

10– जिन अधिकारियों/कर्मचारियों की सेवायें उक्त प्रस्तर–1 में उल्लिखित आदेश के जारी होने की तिथि से पूर्व समाप्त हो गई हो. अथवा जो अधिकारी/कर्मचारी अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर दिनांक 01 जलाई, 2021 से इस आदेश के निर्गत होने की तिथि तक सेवानिवृत्त हो गये हों अथवा 06 माह के अन्दर सेवा निवृत्त होने वाले हो, उनको देय महंगाई भत्ते की बकाये की सम्पूर्ण धनराशि का भुगतान नकद किया जायेगा।

11– उक्त आदेशों द्वारा स्वीकृत बढ़ी हुई महंगाई भत्ते की धनराशि के आहरण हेतु लेखा इकाई द्वारा प्राधिकार पत्र अलग से निर्गत करने की आवश्यकता नहीं होगी।

भवदीय

(अनिल कुमार मिश्र)
उप महाप्रबन्धक (मा0सं0–02)

सं0: 2050 –मा0सं0प्र0–02/उनिलि/2022, तद्‌दिनांक :

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, लखनऊ के निजी सचिव।
2. निदेशक(कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन/तकनीकी/वित्त/परियोजना एवं वाणिज्य), उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ के स्टाफ ऑफिसर/निजी सचिव।
3. मुख्य अभियन्ता (मा0सं0), उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, लखनऊ ।
4. मुख्य अभियन्ता (स्तर– I), (पीपीएमएम), उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, चतुर्थ तल, टीसी–46/वी, समाज कल्याण भवन, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ–226010 ।

क्रमशः..... 3/–

5. मुख्य अभियन्ता(स्तर-II), न्यू कोल ब्लॉक, चतुर्थ तल, टीसी-46/वी, समाज कल्याण भवन, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ-226010।
6. समस्त मुख्य अभियन्ता(पर्यावरण एवं सुरक्षा)/(जानपद)/(जानपद नव-परियोजनाएं)/(तापीय परिचालन इकाई)/(ईधन)/(पीपीएमएम)/(वाणिज्य)/(आर0एण्डएम0), उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
7. अध्यक्ष/सचिव, विद्युत उत्पादन सेवा आयोग, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
8. महा प्रबन्धक(लेखा/सम्प्रेक्षा), उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
9. कम्पनी सचिव, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
10. मुख्य परियोजना प्रबन्धक(प्रगति), उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, चतुर्थ तल, नवीन भवन, टीसी/46वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ-226010 को निगम वेबसाइट www.uprvunl.org पर अपलोड करने हेतु।
11. अधीक्षण अभियन्ता/उप महाप्रबन्धक (मा0सं0-01/02/03/04/05/06/तापीय परिचालन इकाई/टाण्डा वाइंडिंग एवं संसदीय कार्य/प्रशिक्षण/रिफार्म/डाटाबेस, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
12. उप मुख्य लेखाधिकारी/वरिष्ठ लेखाधिकारी, अनपरा/ओबरा/पारीछा/हरदुआगंज/पनकी, अनपरा(सोनभद्र)/ओबरा(सोनभद्र)/पारीछा(झाँसी)/कासिमपुर (अलीगढ़)/पनकी(कानपुर)।
13. मुख्य प्रबन्धक(वित्त एवं लेखा), कैश प्रबन्धन इकाई, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
14. समस्त अधिशासी अभियन्ता/अनुभाग अधिकारी(मानव संसाधन), उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, लखनऊ।
15. वरिष्ठ लेखाधिकारी/लेखाधिकारी(वे0 एवं ले0), उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, लखनऊ।
16. कार्मिक अधिकारी(औ0सं0)/जन सूचना अनुभाग, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
17. कट फाइल।

(अनिल कुमार मिश्र)
उप महाप्रबन्धक(मा0सं0-02)